-------3/यो0स०क०-30/2022 110

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या/2025-26)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा0प्र0से0,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 14.8.2025

विषय:- **वितीय वर्ष 2025-26 में "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री जनमन योजना , धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत ऑगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण हेतु केन्द्रांश मद में रू० 659.99 लाख, आँगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण/उन्नयन हेतु राज्यांश मद में रू० 3829.83 लाख तथा ऑगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण (नाबार्ड संपोषित योजना सहित) हेतु राज्य स्कीम मद में रू० 22467.99 लाख अर्थात कुल रू. 26957.81 लाख (दो सौ उनहत्तर करोड संतावन लाख इक्यासी हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1062 दिनांक 07.03.23 से **"सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0"** योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है तथा समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5724 दिनांक 27.11.2017, पत्रांक 2056 दिनांक 15.06.2017 के क्रम में समेकित बाल विकास छत्र योजना के अन्तर्गत ऑगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण योजना संचालित है। विभागीय संकल्प सं0-4302 दिनांक- 23.05.2025 से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के अभिसरण से 45 आँगनबाडी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गयी है एवं विभागीय संकल्प सं0-4547 दिनांक- 05.06.2025 से PM- JANMAN योजना के अभिसरण से 10 नये स्वीकृत आँगनबाडी केन्द्रों के स्थापना, संचालन एवं भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

वितीय वर्ष 2025-26 में इस योजना अन्तर्गत कुल रू०16000.04 लाख (एक सौ साठ करोड चार हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0- 41 दिनांक-24.04.2025 के द्वारा प्रदान की गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त **केन्द्रांश मद में रू० 659.99 लाख, राज्यांश मद में रू० 3829.83 लाख तथा राज्य स्कीम मद में रू० 22467.99 लाख अर्थात कुल रू. 26957.81 लाख (दो सौ उनहत्तर करोड संतावन लाख इक्यासी हजार)** मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	PFMS Code	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1.	(सक्षम ऑगनबाडी पोषण 2.0) ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण (केन्द्रांश)	100:00/ 60:40	3975 (BR189)	51-4235021020208	0208-53.01	3000.00	0.00
				51-4235021020210	0210-53.01	3000.00	0.00
	प्रधानमंत्री जनमन योजना अन्तर्गत आँगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण (केन्द्रांश-100)			51-4235021020211	0211-53.01	0.01	119.99
	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत आँगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण (केन्द्रांश-100)			51-4225020510201	0201-53.01	0.00	540.00

2.	(सक्षम ऑगनबाडी पोषण 2.0) ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण एवं उन्नयन (राज्यांश)			51-4235021020308	0308-53.01	0.01	2019.39
				51-4235021020310	0310-53.01	0.01	1809.84
3.	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	00:100		51-4235021020109	0109-53.01	0.01	25.99
				51-4235021020110	0110-53.01	10000.00	0.00
	समेकित बाल विकास योजना (नाबार्ड संपोषित योजना) ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	00:100		51-4235021020103	0103-53.01	0.00	22442.00
***योग :-* (रू० दो सौ उनहत्तर करोड संतावन लाख इक्यासी हजार)**						16000.04	**26957.81**

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आईसीडीएस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आईसीडीएस निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-3596 दिनांक- 01.07.2025, जो वार्षिक स्कीम 2025-26 अन्तर्गत आंतरिक सामंजन के संबंध में है, के द्वारा केन्द्रांश मद में आँगनबाडी केन्द्रों का भवन निर्माण के विपत्र कोड- 51-4235021020208 के विषय शीर्ष 5301 में रू० 285.23 लाख की राशि प्रत्यर्पित कर आंतरिक सामंजन से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान विपत्र कोड 51-4235021020211 के विषय शीर्ष 5301 में समतुल्य राशि प्राप्त की गयी है।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के पत्रांक – 12888/वि0 दिनांक-03.12.2024, 227/वि० दिनांक 28.03.2025, 235/वि0 दिनांक 01.04.2025, पत्रांक-600/वि. दिनांक-06.08.2025. एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-30/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-**18/टि0** पर दिनांक-**12.08.2025** को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-30/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-**20/टि0** पर दिनांक-**13.08.2025** को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अत: महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

14/8/25

(योगेश कुमार सागर)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-30/2022/ 109 पटना, दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस.निदेशालय /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/8/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-30/2022/ 110 पटना, दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/8/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-30/2022/ 110 पटना, दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि–विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/8/25
संयुक्त सचिव